



सं. के. भ. नि. /नि. का.- कार्मिक विभाग नीति/37/2020-कार्मिक

दिनांक: 16.08.2021

### परिपत्र

**विषय: सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता के लिए दावा प्रस्तुत करने की समय सीमा**

**संदर्भ: 1. परिपत्र संख्या CWC/XV-I/TA-Policy/Rectt./991A दिनांक 27.08.2018**

**2. व्यय विभाग, कार्यालय जापन सं 19030/1/2017-E.IV दिनांक 15.06.2021**

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हित में यह निर्णय लिया गया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों द्वारा गृह नगर/निवास स्थान जाने के लिए की गई यात्रा के संबंध में यात्रा भत्ते के दावों को यात्रा के पूरा होने की तारीख के 180 दिनों (छह महीने) तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

यह परिपत्र, प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से जारी किया गया है और जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा ।

**(देबपति साहा चौधरी)**  
**सहायक महाप्रबंधक (कार्मिक)**

#### **प्रतिलिपि:**

1. सभी विभागाध्यक्ष, के. भ. नि., निगमित कार्यालय, नई दिल्ली
2. सभी क्षेत्रीय प्रबंधक, के. भ. नि., क्षेत्रीय कार्यालय
3. अध्यक्ष के निजी सचिव/प्रबंध निदेशक के निजी सचिव/निदेशक (वित्त) के परामर्शदाता /निदेशक (कार्मिक) के निजी सचिव/ निदेशक (एम एण्ड सीपी) के निजी सचिव/ मुख्य सतर्कता अधिकारी के निजी सहायक केभनि, निगमित कार्यालय, नई दिल्ली।

निगमित कार्यालय: 4/1, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, हौज़ खास, नई दिल्ली-110016.

CO: 4/1, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Hauz Khas, New Delhi-110016.



No. CWC/CO-PD0PLCY/37/2020-PERS

Dated: 16.08.2021

**CIRCULAR**

**Sub: Time limit for submission of claims for travelling allowance on retirement...reg.**

**Ref: 1. Circular No. CWC/XV-I/TA-Policy/Rectt./991A dated 27.08.2018**  
**2. Department of Expenditure OM No. 19030/1/2017-E.IV dated 15.06.2021**

In the welfare of retired employees of the Corporation and with the approval of the Competent Authority, it has been decided that Travelling Allowance claims in respect of journeys performed by retired employees and their families for going to Home town/place of settlement, can be submitted in 180 days (six months), succeeding the date of completion of the journey.

This circular will be effective from the date of issuance.

This is issued with the approval of the Managing Director.

**(Debapati Saha Chowdhury)**  
**Asst. General Manager (Pers.)**

**Copy To:**

1. All HoDs, CWC, CO, New Delhi
2. All Regional Managers, CWC, Regional Offices
3. PS to Chairman/PS to MD/ PS to Dir (Pers)/ PS to Dir (MCP)/Consultant to Dir (Fin)/PA to CVO

---

निगमित कार्यालय: 4/1, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, हौज़ खास, नई दिल्ली-110016.  
CO: 4/1, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Hauz Khas, New Delhi-110016.

---